



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय  
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)  
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION  
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2024/ 1310

भोपाल, दिनांक 07-11-2024

## अधिसूचना

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति की अनिवार्यता के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नीति में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग जारी दिशा निर्देशों में प्रावधान किया गया है। तदनुसार सत्र 2024-25 की प्रथम आंतरिक परीक्षा के उपरांत द्वितीय आंतरिक परीक्षा तक जिन विद्यार्थियों की कक्षाओं में उपस्थिति 75% से कम होगी वे विद्यार्थी द्वितीय आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं होंगे।
2. विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जिनकी कक्षाओं में उपस्थिति 75% से कम होगी वे मुख्य परीक्षा में बैठने से वंचित रहेंगे।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)  
प्रभारी कुलसचिव

भोपाल, दिनांक 07-11-2024

पृ. क्र./अका./2024/ 1311

प्रतिलिपी: -

1. निज सहायक, कुलगुरु / कुलसचिव की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/परिसर प्रभारियों को सूचनार्थ।
3. निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. प्रभारी वेबसाईट को सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी की ओर सूचनार्थ।
6. परीक्षा नियंत्रक की ओर सूचनार्थ।
7. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)  
प्रभारी कुलसचिव



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय  
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)  
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION  
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2024/ 1316

भोपाल, दिनांक 07-11-2024

परिपत्र

विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र. /अका./2024/ 1310 भोपाल, दिनांक 07-11-2024 द्वारा विद्यार्थियों की कक्षाओं में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता तथा इसके अभाव में आंतरिक मूल्यांकन तथा मुख्य परीक्षा में बैठने के संबंध में अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त के अनुक्रम में सभी शैक्षणिक विभागों को सूचित किया जाता है कि विद्यार्थियों की कक्षाओं में 75 % उपस्थिति पूर्ण करने हेतु दिनांक 11-11-2024 से दिनांक 04-12-2024 तक अतिरिक्त कक्षाएं (Remedial Classes) विभागीय समय सारणी के पूर्व एवं पश्चात लगाकर विद्यार्थियों की कक्षाओं में उपस्थिति 75 % पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त अतिरिक्त कक्षाएं विश्वविद्यालय अवकाश के दिनों में भी लगाई जा सकती है।

उपरोक्त अतिरिक्त कक्षाओं में शिक्षण कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों के अतिरिक्त मानदेय भुगतान का प्रस्ताव विभागाध्यक्षगण अनुमोदन हेतु पृथक से प्रस्तुत करेंगे।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)

प्रभारी कुलसचिव

भोपाल, दिनांक 07-11-2024

पृ. क्र./अका./2024/ 1317

प्रतिलिपी: -

1. निज सहायक, कुलगुरु / कुलसचिव की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/परिसर प्रभारियों को सूचनार्थ।
3. निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. प्रभारी वेबसाइट को सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी की ओर सूचनार्थ।
6. परीक्षा नियंत्रक की ओर सूचनार्थ।
7. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)

प्रभारी कुलसचिव